

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक न्यायालय जयपुर शहर द्वितीय

लाभू खान बनाम फजलु खान वगैरे

मुकदमा संख्या/वर्ष 599-19/2022 / 20

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष लि
	06/06/23	<p>प्राथमिकी पेश हुई वही स्वयं उपरोक्त प्रतिवकीलगण के अधिवक्ता (उप) वही द्वारा स्वयं 21/06/23 को समझ उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि वह वाद को जारी नहीं चलाना चाहते हैं इस हेतु वही ने आपेरीक पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर अंकित किए व अंतिम आदेश को (9177-1353-9442) पेश की वही स्वयं स्वयं ही वाद को जारी नहीं चलाना चाहते हैं तां वाद को जारी चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वही का वाद खारिज किया जाता है। प्राथमिकी प्रैसल सुनार लेकर दर्ज नंबर ले कर होश दायरिल इफ्तखार निर्वाह आज दिनांक 06/06/2023 को सरे इजलाम सुनाया गया।</p>	<p>वापस आवे नहीं यह या 6/6/23</p>

06/06/23
सहायक न्यायालय
जयपुर शहर द्वितीय